रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102026-277325
CG-DL-E-21102026-277325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5506] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948
No. 5506] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5723(अ).— केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 124 के उप-नियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2004, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(2) उक्त अधिसूचना में, तालिका में,

i. क्रम संख्या 5 और 6 और उनकी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	(क) स्टीयरिंग संघात अपेक्षाएं	समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 11939:1996, उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	13 दिसंबर 2004 और 5 (ख) के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध

	(ख) आमने-सामने की टक्कर में वाहन की स्टीयरिंग यंत्र-रचना की कार्यप्रणाली के लिए अपेक्षाएँ	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-096/2008, उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	नए मॉडल - 1 अक्टूबर, 2017 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर, 2019
	(ग) आंशिक अग्रभाग टक्कर (ऑफसेट फ्रंटल कोलिजन) की घटना में सवारियों की सुरक्षा	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-098/2008, उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	नए मॉडल - 1 अक्टूबर, 2017 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर, 2019 और 5 (ग-1) के कार्यान्वयन की वैध तारीखों तक मान्य
	(ग-1) आंशिक अग्रभाग टक्कर की घटना में सवारियों की सुरक्षा	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-098 (सं. 1), उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	नए मॉडल - 1 अक्टूबर 2027 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर 2028
6.	(क) सभी यात्री कारों के लिए पार्श्व द्वार संघात	समय-समय पर यथा संशोधित आईएस: 12009:1995	13 दिसंबर 2004 और 6 (ख) के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध
	(ख) पार्श्व टक्कर की घटना में सवारियों के बचाव के बारे में वाहनों की मंजूरी	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-099/2008, उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	नए मॉडल - 1 अक्टूबर, 2017 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर, 2019 और 6 (ख-1) के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध
	(ख-1) पार्श्व टक्कर की घटना में सवारियों की सुरक्षा के संबंध में वाहनों की मंजूरी	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-099 (सं. 1), उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	नए मॉडल - 1 अक्टूबर 2027 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर 2028
	(ग) मोटर वाहन के साथ टक्कर की स्थिति में पैदल यात्रियों और अन्य असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के बारे में वाहनों की मंजूरी	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-100/2010, उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	नए मॉडल - 1 अक्टूबर, 2018 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर, 2020 और 6 (ग-1) के कार्यान्वयन तक वैध

	(ग-1) मोटर वाहन के साथ टक्कर की स्थिति में पैदल यात्रियों और अन्य असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में वाहनों की मंजूरी	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-100 (सं. 1), उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	नए मॉडल - 1 अक्टूबर 2028 फ्लेक्सपीएलआई (फ्लेक्सिबल पेडेस्ट्रियन लेग इम्पैक्टर) परीक्षण उपकरण का अनिवार्य उपयोग - 1 अक्टूबर 2032 -
	(घ) मोटर वाहन के पीछे से टक्कर की स्थिति में ईंधन प्रणाली की सुरक्षा और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की सुरक्षा के संबंध में वाहनों की मंजूरी	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-101 (सं. 1), उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	सभी मॉडलों के लिए: 1 अप्रैल 2029
	(ङ) नियंत्रण प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए सामने से टक्कर की स्थिति में सवारियों की सुरक्षा के लिए अपेक्षाएं	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-201, उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	नए मॉडल: 1 अक्टूबर 2029 सभी मॉडल: 1 अक्टूबर 2031
	(च) इवेंट डेटा रिकॉर्डर (ईडीआर) के संबंध में वाहनों की मंजूरी	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-192, उसमें निर्दिष्ट वाहनों के लिए	1 अक्टूबर 2029

”

(ii) क्रम संख्या 45 और उसकी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

“

(1)	(2)	(3)	(4)
45	(क) एम1 श्रेणी के मोटर वाहनों पर पैर से नियंत्रण की व्यवस्था और संचालन का तरीका	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-035:2006	1 अप्रैल, 2008 और नए मॉडलों के लिए 45 (ख) के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध।
	(ख) एम1 श्रेणी के मोटर वाहनों पर पैर से नियंत्रण की व्यवस्था और संचालन का तरीका	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-035 (सं. 1)	नए मॉडल: 1 अप्रैल 2028

”

(iii) क्रम संख्या 52 और उसकी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"

(1)	(2)	(3)	(4)
52	क. एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए वाहन अलार्म सिस्टम और वाहन अवरोधक (इमोबिलाइज़र), यदि फिट किया गया हो	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-076/2007	12 अक्टूबर, 2017
	ख. एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए इमोबिलाइज़र का अनिवार्य फिटमेंट	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-076	1 अक्टूबर 2027

"

(3) उक्त अधिसूचना में, तालिका क में:

(i) क्रम संख्या 30 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"

(1)	(2)	(3)	(4)
30	(क) पैर से नियंत्रण की व्यवस्था और संचालन का तरीका।	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-035: 2006।	1 अक्टूबर, 2014 और नए मॉडलों के लिए 30 (ख) के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध
	(ख) पैर से नियंत्रण की व्यवस्था और संचालन का तरीका।	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-035 (सं. 1)।	नए मॉडल 1 अप्रैल 2028

"

[फा. सं. आरटी-11036/104/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का. आ. 1365 (अ) दिनांकित 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार का. आ. 2747(अ) दिनांकित 29 मई, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2026

S.O. 5723(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E) dated 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(2) In the said notification, in the Table-

ii. For serial numbers 5 and 6 and the entries thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	(a) The Steering impact requirements	IS 11939:1996 as amended from time to time, for the vehicles specified therein	13^{th} December 2004 and valid upto dates of implementation of 5(b)

	(b) Requirements for behaviour of steering mechanism of a vehicle in a Head-on Collision	AIS-096/2008 as amended from time to time, for the vehicles specified therein	New models – 1st October, 2017 All models – 1st October, 2019
	(c) Protection of Occupants in the event of an offset frontal Collision	AIS-098/2008 as amended from time to time, for the vehicles specified therein	New models – 1st October, 2017 All models – 1st October, 2019 and valid upto dates of implementation of 5 (c-1)
	(c-1) Protection of Occupants in the event of an Offset Frontal Collision	AIS-098 (Rev. 1) as amended from time to time, for the vehicles specified therein	New models – 1st October 2027 All models – 1st October 2028
6.	(a) Side door impact for all passenger cars	IS: 12009:1995 as amended from time to time	13th December 2004 and valid upto dates of implementation of 6(b)
	(b) Approval of Vehicles about the Protection of Occupants in the event of Lateral Collision	AIS-099/2008 as amended from time to time for the vehicles specified therein	New models – 1st October, 2017 All models – 1st October, 2019 and valid upto dates of implementation of 6 (b-1)
	(b-1) Approval of Vehicles with regard to the Protection of the Occupants in the event of a Lateral Collision	AIS-099 (Rev. 1) as amended from time to time, for the vehicles specified therein	New models – 1st October 2027 All models – 1st October 2028
	(c) Approval of Vehicles about the Protection of Pedestrians and other Vulnerable Road Users in the event of a Collision with a Motor Vehicle	AIS-100/2010 as amended from time to time, for the vehicles specified therein	New models – 1st October, 2018 All models – 1st October, 2020 and valid up to implementation of 6(c-1)
	(c-1) Approval of Vehicles with regard to the Protection of Pedestrian and other Vulnerable Road Users in the event of a Collision with a Motor Vehicle	AIS-100 (Rev. 1) as amended from time to time, for the vehicles specified therein	New models – 1st October 2028 Mandate use of FlexPLI (Flexible Pedestrian Leg Impactor) test tool – 1st October 2032 -
	(d) Approval of Vehicles with regard to the protection of fuel system and safety of electric power train in the event of rear impact of the motor vehicle	AIS-101 (Rev. 1) as amended from time to time, for the vehicles specified therein	For All Models: 1st April 2029
	(e) Requirements for the Protection of the Occupants in the event of a Frontal Collision with focus on Restraint Systems	AIS-201 as amended from time to time, for the vehicles specified therein	New models: 1st October 2029 All Models: 1st October 2031

	(f) Approval of vehicles with regards to Event Data Recorder (EDR)	AIS-192 as amended from time to time, for the vehicles specified therein	1st October 2029

”

(ii) For serial number 45 and the entries thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“

(1)	(2)	(3)	(4)
45	(a)The arrangement and mode of operation of foot controls on M1 category of motor vehicles	AIS-035:2006 as amended from time to time.	1st April, 2008 and valid upto date of implementation of 45(b) for New models.
	(b)The arrangement and mode of operation of foot controls on M1 category of motor vehicles	AIS-035 (Rev. 1) as amended from time to time.	New models: 1st April 2028

”

(iii) For serial number 52 and the entries thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“

(1)	(2)	(3)	(4)
52	a. Vehicle Alarm Systems and Immobilisers for M and N category vehicles, if fitted	AIS-076/2007 as amended from time to time.	12th October, 2017
	b. Mandatory fitment of immobilizers for M1 category vehicles	AIS-076 as amended from time to time.	1st October 2027

”

(3) In the said notification, in the Table A:-

(i) after serial number 30 the following shall be inserted, namely:-

“

(1)	(2)	(3)	(4)
30	(a)The arrangement and mode of operation of foot controls.	AIS-035: 2006 as amended from time to time.	1st October, 2014 and valid upto date of implementation of 30(b) for New models
	(b)The arrangement and mode of operation of foot controls.	AIS-035 (Rev. 1) as amended from time to time.	New models 1st April 2028

”

[F. No. RT-11036/104/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1365(E) dated 13th December, 2004 and was last amended *vide* S.O. 2747(E) dated 29th May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA